

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .1 (ई)/अलेसे I/निप लिंक न . 1024 / 1092

दिनांक :- 10/1/18

कार्यालय आदेश

श्री नन्द किशोर शर्मा [लिंक नं. 1024] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एक्स काडर), जयपुर - [1000342] जिनकी जन्म तिथि 28/01/1960 है, का दिनांक 02/12/2017 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 02/12/2017 से राजकीय सेवा से पृथक् किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री नन्द किशोर शर्मा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।



निदेशक

क्रमांक :- एफ .1 (ई)/अलेसे I/निप लिंक न . 1024 / 1092

दिनांक :- 10/1/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ,क्षेत्रीय कार्यालय
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एक्स काडर), जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी स्व0 श्री नन्दकिशोर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I , सी-129, करधनी, गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़, जयपुर (राज0)
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा



(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)